राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 287/2023

कविता परेवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक, पशु चिकित्सा पॉली–क्लिनिक, जयपुर।
4. प्रभारी, प्रथम श्रेणी, पशु चिकित्सालय, जयपुर।
5. नीतू चौधरी, पशुधन सहायक, उपकेन्द्र, कुहाड़ा, बुजुर्ग, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2023
आदेश की दिनांक : 03.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश मीणा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री कपिल कुमार जांगिड़, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से : श्री विजेन्द्र यादव, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी संख्या–4 एवं 5 द्वारा प्रस्तुत स्टे वेकेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, आदर्श नगर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर में किया गया, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25क एवं परिशिष्ट–iX के प्रावधानों के विपरीत है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण उपकेन्द्र, कुहाडा, बुजुर्ग, टोंक से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, आदर्शनगर, जयपुर अपीलार्थी के स्थान पर समंजित (Accommdate) करने के उद्देश्य से किया गया है। इसी आधार पर अधिकरण के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2023 से विवादग्रस्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 12.01.2023 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया तथा आदेश दिए गए अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे, जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था। अतः अधिकरण द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश वेकेट करने का कोई आधार नहीं है।

प्रत्यर्थी संख्या–4 ने जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को शासन सचिव पशुपालन विभाग, जयपुर से निर्देश प्राप्त करने तथा पशुपालन विभाग के सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति ग्रहण कर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय आदर्श नगर में कार्यग्रहण करना चाहिए था। किन्तु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.02.2023 को प्रभारी, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, आदर्श नगर के अवकाश के दिवस अनाधिकृत तरीके से कार्यग्रहण किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–4 के आदेश दिनांक 31.02.2023 द्वारा निदेशक पशुधन भवन टोंक रोड, जयपुर को उचित माध्यम उपनिदेशक पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक पांच बत्ती, जयपुर के विष्यान्तर्गत अपीलार्थी को प्राप्त स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2023 के क्रम में दिशानिर्देश प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया। अपीलार्थी दिनांक 13.01.2023 से 01.02.2023 तक स्वेच्छा से अनुपस्थिति रही तथा दिनांक 03.02.2023 को इनके द्वारा चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करनवाने बाबत् Sicknes Fitnes Certificate प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–4 के आदेश दिनांक 13.01.2023 द्वारा कार्यमुक्त किया गया, इसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या–2, जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर में दिनांक 20.01.2023 को इस्तगासा प्रस्तुत कर डॉ0 प्रवीण कुमार सोनी, प्रभारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, आदर्शनगर, जयपुर के विरूद्ध बदनियतिपूर्वक भावना रखते हुए अनु0 जाति/अनु0 जनजाति एक्ट व आईपीसी धारा के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करवाने की कार्यवाही की। अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय से तथ्य छिपाये गये है तथा माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया है। अतः स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2023 को खारिज किया जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा हस्तगत अपील को अस्वीकार कर खारिज करने हेतु जवाब अपील प्रस्तुत किया कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2023 द्वारा उपकेन्द्र, कुहाडा, बुजुर्ग, टोंक से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, आदर्शनगर, जयपुर रिक्त पद पर स्थानान्तरण किया गया था। उक्त आदेश की पालना में निजी प्रत्यर्थी ने दिनांक 24.01.2023 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। निजी प्रत्यर्थी का छोटा बच्चा केवल 5 वर्ष का है, जो किम्बरलाइट एलीमेन्ट्री स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर में पढ रहा है और निजी प्रत्यर्थी के पति भी जयपुर में फार्मास्युटिकल कम्पनी में नौकरी करते है।

हमने स्टे वेकेशन पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध स्थगन प्रार्थना पत्र पर दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब अप्राप्त है।

प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1), जिसके द्वारा अपीलार्थी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, आदर्श नगर, जयपुर से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन दिया गया है। प्रस्तुत

अपील के अनुसार आलोच्य आदेश राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25क एवं परिशिष्ट–iX के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलार्थी पशुधन सहायक के पद पर दिनांक 15.08.2017 (अनुलग्नक–2) से वर्तमान स्थान पर पदस्थापित है। प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा भी विभागीय आदेशों की अनुपालना में नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण करना प्रतिवेदित है।

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25क के प्रावधानों के अनुसार उसमें वर्णित परिस्थितियों में ही किसी भी राज्य कर्मचारी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा सकता है। आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 में ऐसी किसी परिस्थिति/कारण का अंकन नहीं है जैसा कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 25क में प्रावधित है। अधिकरण के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2023 में प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी को नियमानुसार नये सिरे से स्थानान्तरण करने की अनुप्रति दी गई है परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की जाना रिकार्ड पर नहीं है। अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2023 के पश्चात ऐसे कोई नये तथ्य उत्पन्न होने संबंधी विवरण भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिसके दृष्टिगत अन्तरिम स्थगन को समाप्त करना आवश्यक हो। अतः स्टे वेकेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को अपील का जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।

पत्रावली दिनांक ..... को जवाब प्रत्यर्थी विभाग एवं बहस हेतु पेश हो।

आदेश आज दिनांक 03.07.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)